समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 25 August 2026

ओम बिरला हटाने की नोटिस मे त्रुटि : स्पीकर ने सुधार का निर्देश दिया

Publisher | Published on 11 Feb 2026

संसद के **बजट सत्र 2026** के बीच विपक्ष द्वारा **लोकसभा स्पीकर **ओम बिरला** को हटाने के लिए *▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯* का नोटिस पेश किया गया था। हालांकि, लोकसभा सचिवालय ने आज इस **नोटिस मे कंई प्रक्रियागत त्रुटियाँ** पाई हैं, जिससे इसे नियमों के तहत *▯▯▯▯▯▯* किया जा सकता था।

क्या समस्या रही ?

संसद सचिवालय के अनुसार नोटिस में **गलत तारीखों** का जिक्र था — कई स्थानों पर *▯▯▯▯▯▯ 2025* का हवाला दिया गया, जबकि बजट सत्र **2026** में है। ऐसी त्रुटियाँ नियमों के अनुरूप दस्तावेज़ न होने पर इसे खारिज करने का कारण बन सकती थीं।

स्पीकर ने क्या किया ?

स्पीकर **ओम बिरला** ने इस नोटिस को तुरंत खारिज करने की बजाय, सचिवालय को **त्रुटियों को ठीक करने और नोटिस को संशोधित** करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि इससे संसदीय प्रक्रिया को *▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯* रखा जाएगा और आगे की कार्रवाई इसी के आधार पर की जायेगी।

अब क्या होगा ?

संशोधित नोटिस को जब फिर से जमा किया जाएगा, तब इसे **बजट सत्र के दूसरे चरण** के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा और **चर्चा/निर्णय** के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। कुछ सूत्रों के अनुसार इसे **9 मार्च 2026** को चर्चा के लिए पेश किया जा सकता है।

राजनीतिक पृष्ठभूमि :

यह कदम उस **राजनीतिक गतिरोध** में आया है जिसमें विपक्ष ने आरोप लगाया है कि स्पीकर **निष्पक्ष नहीं रहे** और बजट सत्र में विपक्षियों को बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। ऐसे आरोपों के बीच यह नोटिस संसदीय प्रक्रिया का एक दुर्लभ लेकिन संवैधानिक उपाय है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.